Constitution of India

The Constitution of India is the supreme law of India. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. It was adopted on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950. The Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign country in the world, consisting of 448 articles in 22 parts, 12 schedules and 118 amendments.

भारत का संविधान

भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा निर्धारित करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भागों में 448 लेख, 12 अनुसूचियां और 118 संशोधन शामिल हैं।

Preamble:

The Preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets forth the objectives and purposes of the Constitution. It explains the reasons for which the Constitution was written and the goals it aims to achieve. The preamble states that the Constitution is established to secure to all citizens justice, liberty, equality, and fraternity. The words "socialist" and "secular" were added to the preamble by the 42nd Amendment in 1976. The preamble is not a source of power or right, but it serves as an interpretation aid to understand the scope and meaning of the provisions of the Constitution.

प्रस्तावना

भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है जो संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यह उन कारणों की व्याख्या करता है जिनके लिए संविधान लिखा गया था और जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए। संविधान।